न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 57/2024

GCMS No. : 2024/326

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली :		1. श्याम अग्रवाल पुत्र नवरत्न अग्रवाल निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी पाली मैसर्स श्याम नमकीन शिव वाटिका पाली (फर्म मैनेजर) 2. नोरतन पुत्र अमृत लाल निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी पाली मैसर्स श्याम नमकीन शिव वाटिका पाली (फर्म मालिक)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक, श्री नवरत्न अग्रवाल।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/12/2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 22.04.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स श्याम नमकीन शिव वाटिका पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। जहा पर अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित मिला जिससे उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम श्याम अग्रवाल पुत्र नवरत्न अग्रवाल बताया एवं स्वंय को फर्म का मैनेजर होना बताया, फर्म के निरीक्षण के दौरान एक पीपे में पॉम ऑयल था जिसका ढक्कन लूज था। जिसका उपयोग अप्रार्थी आमजन को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विक्रय के लिये नमकीन बनाने में कर रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने पॉम ऑयल का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मैनें दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की पॉम ऑयल का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 1600 ग्राम पॉम ऑयल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 272/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा पॉम ऑयल को साफ सुखे चार सुटेबल कंटेनर में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चारं लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड़ एवं सिरियल नम्बर आर–2306 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया अजवायन का नमुना संख्या आर–2306 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/551/एक्ट/2024/556 दिनांक 30.04.2024 के अनुसार Substandard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Substandard (अवमानक) पॉम ऑयल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस एवं अपने लिखित प्रारम्भिक व वैधानिक आपत्तिया/जवांब में प्रार्थी द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से जो पॉम ऑयल का नमुना लिया था वह खाद्य सुरक्षा अधिनियमों मानकों के आधार पर नहीं किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया पॉम ऑयल के संबंध में खाद्य प्रयोगशाला की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थी फर्म को भिजवायी जानी चाहिए जिससे की अप्रार्थी का पुनः जांच का अवसर मिल सके लेकिन प्रार्थी से अप्रार्थीगण को जांच रिपोर्ट से अवगत करवाये बगैर ही श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण पेश कर दिया। जिससे अप्रार्थी का पुनः जांच करवाने का अवसर समाप्त हो गया। प्रार्थी द्वारा लिया गये पॉम ऑयल का उत्पादन अप्रार्थी फर्म द्वारा नहीं किया जाता तथा प्रार्थी ने पैक टीन को खोल कर पॉम ऑयल का सेम्पल लिया है, जिससे प्रार्थी को उत्पादक फर्म को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए लेकिन प्रार्थी ने ऐसा नहीं किया। नियम 2011 के बिन्दु 2.3.1(1) के अनुसार Bytyro refrectometer reading at 50 डिग्री पर 44.47 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन जाचं रिपोर्ट में 35..5 से 44.0 पाया गया किन्तु अप्रार्थी की फर्म से पॉम ऑयल का सेम्पल लेते समय तापमान क्या था इसका अंकन नहीं है। Saponification Value 207.57 तक हो सकती है जो जाचं मानक के अनुसार 195.0 से 205.0 होना पाया गया है जो मामुली अन्तर की श्रैणी में आता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से पॉम ऑयल का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के अनुसार प्रक्रिया नहीं अपनायी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.04.2024 को अप्रार्थी की फर्म से पॉम ऑयल वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2306 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये पॉम ऑयल का नमुना कोड संख्या आर–2306 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पॉम ऑयल का नमुना Substandard (अवमानक) पाया गया। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर Food Safety and Standard Authority of india द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रांक 3440 दिनांक 14.05.2024 के द्वारा अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र नवरतन अग्रवाल मैसर्स श्याम नमकीन 03 शिव वाटिका पाली को द्वारा भिजवा दी गयी एवं 30 दिवस तक अप्रार्थी द्वारा नमुने की पुनः जाचं करवाने या किसी प्रकार का प्रतिउत्तर प्रेषित नही करने की दशा में प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी को नमुने की पुनः जांच करवाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गया था।

अति. जिला कलेक्टर. पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा लिये गये पॉम ऑयल का निर्माण, अप्रार्थी की फर्म द्वारा नहीं किया जाता है इसलिए निर्माता फर्म को पक्षकार बनाना आज्ञापक है। उपरोक्त तर्क के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कथन किया कि मौके पर अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार का बिल पेश नहीं किया, ऐसी स्थिति में समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थीगण की बनती है। जिससे स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गये पॉम ऑयल का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की अक्षरशः पालना करते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनायी है, जो विधि अनुसार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा Substandard (अवमानक) पॉम ऑयल से तैयार नमकीन का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक स्तर (Sub-standards) पॉम ऑयल से तैयार नमकीन का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली